मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक 30/52/79/10/3 दिनांक 22–10–85.

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :– **प्रोजेक्ट बैलगाड़ी का क्रियान्वयन।**

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 8–2–85.

––0––

बैलगाड़ी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु इस विभाग द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किये गये हैं किन्तु इसके पश्चात भी शासन के ध्यान में लाया गया है कि हितग्राहियों को वनोपज परिवहन का कार्य नहीं दिया जा रहा है, जिससे हितग्राहियों का उदर पोषण नहीं हो पा रहा है।

वन विभाग के समस्त वार्षिक कूपों से जहॉ से जलाऊ लकड़ी का निर्वर्तन किया जाता है, का एक ट्रापीकल लाईन तक परिवहन बैलगाड़ी द्वारा करवाया जाये। इसके अतिरिक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार 20 कि.मी. दूरी तक जलाऊ हेतु सिर्फ बैलगाड़ियों को ही उपयोग में लाया जाये।

बैलगाड़ी बनाने हेतु स्थापित वक्रशाप भवनों को आवश्यकतानुसार अपने कार्य हेतु लेने के लिये भी कार्यवाही की जावे। कृपया समस्त वन संरक्षक तथा समस्त वन मंडलाधिकारियों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

सही– अशोक मसीह

उप सचिव

म0प्र0 शासन, वन विभाग